किसानों के लिए नई पहल

—हरवीर सिंह

केवल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी से ही किसानों की आय को तेजी से बढ़ाना संभव नहीं है। इसके लिए समग्र नीति अपनानी होगी। निसंदेह नई योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव की क्षमता तो रखती हैं लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार इन योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने की सरकार की क्षमता पर होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के बीच सहयोग पर ही इसकी कामयाबी टिकी है। चूंकि नीतियां और योजनाएं केंद्र भले ही बनाए, इनके कार्यान्वयन में सबसे अहम भूमिका राज्यों की है।

केंद्र सरकार के सामने देश की करीब 49 फीसदी आबादी की आर्थिक हालत बदलने की चुनौती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगुना करना है। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के 70वें राउंड के मुताबिक देश में एक किसान परिवार की औसत आय 6427 रुपये प्रति माह पर ही अटकी है। यह आय कृषि और दूसरे कामकाज को मिलाकर है। केवल कृषि से होने वाली आय का औसत 3091 रुपये प्रति माह ही है। इसलिए अगर सरकार इस हालत को सुधारने में कामयाब हो जाती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाना संभव है और केवल किसान ही नहीं पूरी ग्रामीण आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव संभव है। असल में सरकार ने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले दो साल में कई अहम कदम उठाए हैं और कई नई योजनाओं को आने वाले दिनों में लागू किया जा सकता है। अगर यह योजनाएं तेजी से अमल में आती हैं तो कृषि क्षेत्र की विकास दर को एक से दो फीसदी के स्तर से उठाकर सात से आठ फीसदी के स्तर पर ले जाया जा सकता है और उसके चलते 2022 तक आय को दुगुना करने का मुकाम हासिल करना संभव है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखा जा सकता है। इस योजना का मकसद हर खेत को पानी पहुंचाना है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना की सीधी निगरानी करेंगे। इस समय देश में कृषि योग्य भूमि का करीब 40 फीसदी ही सिंचित है। अगर इस योजना के जरिए सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुंचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा संभव है। योजना के तहत पांच साल (2015–16 से 2019–20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि सिंचाई की ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्तवर्ष के लिए 5300 करोड़ रुपये आवंटित हैं। सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी स्लोगन के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी विकसित करना है ताकि पानी की फिजूलखर्ची को कम किया जा सके और सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाया जा सके। इसके तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा। इसके साथ ही पहले से अधूरी उन सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक निवेश का प्रावधान किया गया है जिनमें थोड़े से निवेश से ही दो साल में उनको पूरा किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्रः कुछ उपलब्धियां

- 1.84 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित; 2018 तक सभी किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य।
- वर्ष 2015–16 में 245 लाख मीट्रिक टन यूरिया का रिकार्ड उत्पादन। पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन।
- मई 2016 से संपूर्ण यूरिया उत्पाद नीम कोटेड बनाना अनिवार्य करने से यूरिया की कालाबाजारी में भारी कमी।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015–16 में 8 पूर्वोत्तर राज्यों को 112 करोड़ 11 लाख रुपये जारी किए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बरबाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी लेकिन उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का कवरेज बहुत कम रहा। इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं और प्रीमियम में कटौती से लेकर क्लेम के भुगतान में तेजी और नए जोखिम की कवरेज इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी, 2016 को लांच किया था। नई फसल बीमा योजना को चालू वर्ष में खरीफ सीजन से लागू किया गया है। इस योजना में प्रीमियम पहली योजना से काफी कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी और रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम रखा गया है। सरकार के अनुसार इस योजना से उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा जिन्होंने फसल उत्पादन के लिए कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स के लिए प्रीमियम को 5 फीसदी रखा गया है। वर्ष 2016–17 के बजट में योजना के लिए 5550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहली योजना में प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम क्लेम मिलता था। लेकिन इसमें यह हटा दिया गया है तो इसलिए किसानों को पूरी बीमा राशि का क्लेम मिलेगा। हाल ही में इस योजना को लेकर राज्य सरकारों ने बीमा कराने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इसे 10 अगस्त तक कर दिया था ताकि अधिक किसान इसका फायदा ले सकें। सरकार का उद्देश्य मौजूदा वक्त में 20 फीसदी बीमित किसानों की संख्या को बढ़ाकर 50 फीसदी करना है। 22 राज्यों ने इसे नोटिफाइड कर अपने यहां इसकी शुरुआत कर दी है।

ई–मंडी योजना (ई–नैम)

फसल उत्पादन के बावजूद किसानों की आय बेहतर हो इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और इसकी वजह रही है कि कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में बिचौलियों का कब्जा। इस हालत को बदलने के लिए एक बड़ी पहल हुई है जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों के बीच के लोगों को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–नैम) की शुरुआत की गई है। एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए देश की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। ई–नैम से यह योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत में हरियाणा, मध्यप्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की 20 मंडियों को जोड़ने से हुई। यह एक पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों की प्रत्येक मंडी को 30 लाख रुपये की ग्रांट दे रही है। योजना का कुल बजट 200 करोड़ रुपये है। सरकार का लक्ष्य है कि 2018 तक देश की 585 मंडियों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसान ऑनलाइन फसलों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इस तरह देश की सभी मंडियों में एक कमोडिटी के एक ही दाम और वाजिब दाम किसान को मिल सकेंगे। इस तरह बेची गई फसल को ऑनलाइन ही किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। लेकिन इसे लागू करने में सबसे अहम भूमिका राज्यों की है। इसके लिए जहां एग्रीकल्चर मार्केट प्रॉड्यूस कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव लाना है वहीं केंद्र की मदद से इलैक्ट्रॉनिक और स्टोरेज की ढांचागत सुविधाएं विकसित करनी हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सस्ता कर्ज

किसान क्रेडिट कार्ड योजना करीब डेढ़ दशक पुरानी योजना है। इस योजना को पिछली एनडीए सरकार ने लागू किया था। इसके तहत सरकार किसानों को सस्ता फसल कर्ज मुहैया कराती है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 फीसदी की सामान्य ब्याज दर पर मिलता है। इसमें सरकार की ओर से ब्याज दरों पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान समय से ऋण लौटा देता है तो उसे ऋण सिर्फ 3 फीसदी की ब्याज दर पर ही मिलता है। चालू वित्त वर्ष (2016–17) के लिए सरकार ने 18276 करोड़ रुपये की ब्याज छूट देन (इंटरेस्ट सबवेंशन) का प्रावधान किया है। किसानों को ब्याज छूट देने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को यह राशि देती है।

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना

किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक बड़ी चुनौती रही है। केमिकल फर्टिलाइजर के गैर–जरूरी उपयोग के चलते भूमि की उर्वराशक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका असर फसलों की उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। इस हालत में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2015 में पूरे देश में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत खेतों की मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को मिट्टी का हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान जरूरत के हिसाब से अपने खेतों में फर्टिलाइजर और दूसरे न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकें। इसके चलते जहां सॉयल हैल्थ सुधरेगी वहीं किसानों की बचत भी होगी। योजना के तहत 3 सालों में पूरे देश में 14 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को जारी किए जाएंगे। इस योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में स्थानीय स्तर पर लैब और मोबाइल लैब के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत जुलाई 2016 तक 1.84 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

केंद्र सरकार का एक बड़ा फोकस परंपरागत खेती पर है। इसके तहत आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी के विकल्प पर जोर देना है. वहीं इसके जरिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड के उपयोग में कमी लाना है। योजना के केंद्र में देश के छोटे और सीमांत किसानों के विकास को रखा गया है। इस योजना के तहत देश में परंपरागत साधनों से ऑर्गेनिक खेती किए जाने को बढ़ावा दिया जाना है। लघु सिंचाई, कंपोस्ट खाद के उपयोग को मजबूत करना है। इसमें विलेज क्लस्टर बनाए जाने हैं जिनमें प्रत्येक कलस्टर में 50–50 किसानों को शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर देश में 10 हजार कलस्टर बनाए जाने हैं जिसमें 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का लक्ष्य रखा गया है। सिक्किम को इस योजना के तहत कंपोस्ट जोन घोषित किया जा चुका है। योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें से इस साल 197 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

नीम कोटेड यूरिया योजना

केंद्र सरकार फर्टिलाइजर पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देती है। लेकिन कई बार सब्सिडी लीकेज के मामले सामने आते रहे हैं। यूरिया का डायवर्जन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा देने का कदम उठाया है। इसके चलते जहां सब्सिडी लीकेज पर अंकुश लगेगा वहीं नीम कोटेड यूरिया फसलों को बीमारियों से बचाने में भी कारगर है। जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को 100 फीसदी नीम कोटेड यूरिया बनाने की इजाजत दी थी। इससे पहले कंपनियां सिर्फ 35 फीसदी ही नीम कोटेड यूरिया बना सकती थीं। सरकार के अनुसार इससे यूरिया का इंडस्ट्रीज में होने वाला दुरुपयोग बच जाएगा। इसके साथ ही नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की खपत 10 फीसदी तक कम हो जाएगी। यानी जिस खेत में 100 किलोग्राम यूरिया डाला जाना है उसकी जगह सिर्फ 90 किलोग्राम से ही काम चल जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से देश पर 6500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ कम हो जाएगा।

इन योजनाओं के अलावा सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में भी किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं और हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें फल–सब्जियों के उत्पादन और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है और फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। साथ ही कृषि भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और मैपिंग पर काम चल रहा है ताकि इस बात की पूरी जानकारी हो कि कृषि भूमि का वास्तविक उपयोग किस तरह से हो रहा है और इस समय इसका आकार क्या है। पिछले कई साल में उद्योगीकरण और नगदीकरण और अरबनाइजेशन के चलते कृषि योग्य भूमि में काफी कमी आई है लेकिन अभी इसके नवीनतम आंकड़े नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेलः harvirpanwar@gmail.com

किसानों के लिए मोबाइल एप

- **किसान सुविधा मोबाइल एप**–किसान सुविधा मोबाइल एप प्रधानमंत्री द्वारा 19 मार्च 2016 से जारी किया गया जो किसानों को मौसम, कीमत, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की जानकारी देता है; 2500 से अधिक किसान इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं।
- **एग्रीमार्केट मोबाइल एप**–50 किमी. के दायरे में आने वाले बाजारों में फसलों की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए।
- **फसल बीमा मोबाइल एप**–इस एप से किसान अपने फसल बीमा से संबंधित जानकारी के साथ कवरेज एवं अधिसूचित फसल हेतु अपने प्रीमियम की गणना कर सकते हैं।
- **पूसा कृषि मोबाइल एप**–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों तथा नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्राप्त होगी।
- **भुवन हैल्स्टॉर्म मोबाइल एप**–इस एप से ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं।